सोसाइटी फॉर इंपावरमेंट एंड वेलफेयर एक्टिवटीज (सेवा)

टीएचडीसी इंडिया लि., बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश-249201

सं.एसईडब्ल्लूए-टीएचडीसी/ऋषिकेश/विविध

दिनांक 15.05.2012

गैर सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन (निष्पादन) एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया

सीएसआर स्कीमों के तहत आने वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता से एसईडब्ल्यूए-टीएचडीसी/टीएचडीसी एजूकेशन सोसाइटी (टीईएस) (कोआपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम, 1860, टीएचडीसीआईएल द्वारा संबंधित) द्वारा की जाएगी और इसमें सरकारी एजेंसियां/विभाग/संस्थायें/निर्वाचित सार्वजनिक संस्थाएं जैसे ग्राम सभा/गैर सरकारी संगठन स्व-सहायता समूह (एसएचजी) आदि शामिल होंगे जैसा कि टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर-सीडी स्कीम-2010 के खंड 4 के तहत उल्लेख किया गया है।

एसईडब्लूए-टीएचडीसी/टीईएस की सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (गैर सरकारी संगठन/सार्वजनिक संस्था/संस्थाएं आदि) के चयन का मानदंड इस प्रकार है:

1. लागू अधिनियम/विद्यायन, कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (सहकारी सोसाइटी अधिनियम) या अन्य विधायन के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र
2. दो लाख से ऊपर की सभी परियोजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठन/कार्यान्वयन एजेंसियां पंजीकरण के बाद कम से कम तीन वर्ष पुरानी होनी चाहिए। 2.00 लाख रु. से कम की परियोजनाओं के मामले में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के लिए मामला दर मामला आधार पर इन मानदंडों में ढील दी जा सकती है।

3. विभिन्न प्रकार की सीएसआर गतिविधियों विशेषकर सरकारी स्कीमों में संलग्न स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. गैर- सरकारी संगठन के पास वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) तथा फार्म 12ए का आयकर प्रमाण पत्र होना चाहिए।
5. गैर सरकारी संगठन को तीन वर्ष का लेखा परीक्षित लेखा और आयकर विवरणी प्रस्तुत करना होगा।
6. जो गैर सरकारी संगठन टीआईएसएस के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
7. जिसने क्षेत्र में समान प्रकार की परियाजनाएं कार्यान्वित की हो, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
8. हमारी आवश्यकताओं और प्रस्तुतीकरण आदि सहित व्यक्तिगत साक्षात्कार सहित सी एस आर परियोजना के लिए एन जी ओ का चयन उसकी रुचि की अभिव्यक्ति रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत किया जाएगा।

(एस. क्यू. अहमद)
सचिव, एसईडब्ल्यूए-टीएचडीसी